

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 24.12.2025

धोखाधड़ी करते हुए 13 लाख रुपये गबन करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष खोराबार के नेतृत्व में उ0नि0 अनूप कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 796/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. से सम्बन्धित अभियुक्त सुधीर कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि प्रतिवादी द्वारा जमीन बैनामा कराने के नाम पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करते हुए 1390000/- (तेरह लाख नब्बे हजार रुपया) वादी से हड्डप लिया गया तथा रूपया माँगने पर प्रतिवादी द्वारा गाली गुस्सा देते हुए मारा पीटा गया व जान से मारने की धमकी दी गयी है जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सुधीर कुमार पाण्डेय पुत्र श्री कृष्णानन्द पाण्डेय निवासी ग्राम कोनी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 796/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

- उ0नि0 अनूप कुमार, थाना खोराबार, गोरखपुर।
- उ0नि0 शुभम शर्मा थाना खोराबार, गोरखपुर।
- हे0 का0 राजेश कुमार थाना खोराबार, गोरखपुर।
- का0 रामचन्द्र यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।